राजस्थान सरकार
राजस्व(ग्रुप–6)विभाग

प0क्र:–6(6)राज–6 / 92पार्ट/9 जयपुर,दिनांक:–30.5.08

परिपत्र

राज्य सरकार के ध्यान में आया है कि राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ सपंरिवर्तन) नियम, 2007 के अन्तर्गत संपरिवर्तन हेतु राज्य सरकार को प्रेषित कुछ प्रकरणों में सपंरिवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 4 के अन्तर्गत सीलिंग सीमा से अधिक होती है। ऐसी स्थिति में, सबंधित व्यक्ति/कम्पनी के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होने के कारण सपंरिवर्तन की कार्यवाही नहीं हो पाती तथा जिला कलेक्टरों से पत्र व्यवहार होते रहते है, जिसके कारण प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब होता है।

अतः निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में जब भी राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ सपंरिवर्तन) नियम, 2007 के नियमों के अन्तर्गत सपंरिवर्तन हेतु प्रकरण प्रेषित करें तो उस समय राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत सीलिंग सीमा को ध्यान में रखते हुए प्रकरण प्रेषित करें। यदि जिला कलेक्टर उचित समझते है कि राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 की धारा 22 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा छूट दी जाये तो ऐसी स्थिति में जिला कलेक्टर प्रार्थी से एक अलग से प्रार्थना पत्र लेकर उस पर राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियमों के संदर्भ में छूट बाबत टिप्पणी देते हुये संपरिवर्तन के प्रकरण को राज्य सरकार को प्रेषित करें ताकि प्रकरण के निस्तारण में विलम्ब नहीं हो।

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि:–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1.समस्त संभागीय आयुक्त राजस्थान।
2.समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।

उप शासन सचिव

cash in lieu of lands.
(iii) the existing clause (I) shall be substituted by the following, namely:-